कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड

S.No. 256

Date :- 13.06.2023

To,

उपवन संरक्षक झालावाड़

विषय :— Construction of Road NH-12 to Rojya Sentioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.

प्रसंग :— प्रस्ताव संख्यां FP/RJ/ROAD/7595/2014 श्रीमान सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प.1 (51) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में

महोदय,

कृप्या उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड एन.एच.12 से रोज्या अण्डार आर.आर.एस.एम.पी. फैज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.95 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेत बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तो का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा । अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नही किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नही किया जावेगा।। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावें। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जायेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है

8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों और रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासम्भव जमा की जायेगी।	हाँ जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
9	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी एन.पी.वी की रूपये 5,76000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
10	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक –11 भूतल सी.जी.ओ. कॉप्लेक्स फेज–1 लोधी रोड नही दिल्ली–11003 में जमा कराया जायेगा।	हाँ जी रूपये 94,41,132 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है
11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।	हाँ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	प्रयोंक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नही होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवष्यकता नही होगी।
13	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेषन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक–11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 मे जमा राषि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराषि का बैंक ड्राफट/ चैक की छायाप्रति सहित सैंद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राषि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराषि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	हाँ जी अभिकरण द्वारा धन राशि रूप्ये 94,41,132/– जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। छाया प्रति संलग्न है। कुल 94,41,132 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव – 8,72,000/–रूपये दिनांक 26.04.2017 2. मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण – 69,77,000/– दिनांक 26.04.2017 3. एन.पी.वी. की राशि – 5,76,000/– रूपये दिनांक 26.04.2017 4. सी.ए. की राशि –3,87,639/–रूपये दिनांक 01.11.2018 5. सी.ए.की राशि ' 6,28,493/– रूपये दिनांक 27.06.2019
14	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।

16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरषः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।	**हाँ जी उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को अभिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई है। जो कि दिनांक 25.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।**

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न – 1 जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति

2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड अकलेरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

क्रमांक :– 256 दिनांक :– 13.06.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित /प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
खण्ड अकलेरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : **दिनांक :**

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा ।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
आई डी नं. 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :   दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडो की संख्या से अधिक पेडो का पातन नहीं किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0 खण्ड अकलेरा
डी0 डी0 ओ0 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :   दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नही होगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस–पास में वनस्पति/ वन्यजीव (**Flora/Fauna**) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एंव इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :   दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि 8,72,000 रूपये जमा करवा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी0 डी0 ओ0 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवष्यक धनराषि (वर्तमान दरो को सम्माहित करते हुए यथा संषोधित) 69,77,000/– रूपये जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :   दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारामाननीय उचचतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राषि 5,76,000/– रूपये जमा करा दी गई है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॉर्पोरेषन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लॉक–11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 मे जमा कराया जायेगा।

उक्त राशि का विवरण –

1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव	– 8,72,000/–रूपये दिनांक 26.04.2017
2.मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण	–69,77,000/– रूपये दिनांक 26.04.2017
3. एन.पी.वी. की राशि	– 5,76,000/– रूपये दिनांक 26.04.2017
4. सी.ए. की राशि	–3,87,639/– रूपये दिनांक 01.11.2018
5. सी.ए.की राशि	– 6,28,493/– रूपये दिनांक 27.06.2019

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar. **(Proposal No.** FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राषि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नही होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवष्यकता नही होगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा समी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेषन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॉक–11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 मे जमा राषि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराषि का बैंक ड्राफट/ चैक की छायाप्रति सहित सैंद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राषि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराषि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक : दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० आ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :   दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिष्चित की जावेगी तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एंव अग्रेंजी में प्रकाषित होने वाले समाचार पत्रों में दिनांक 25.12.2018 को अक्षरषः प्रकाषित करवायी गयी हैं एंव जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एंव नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना करवा दिया गया हैं।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांकः-100

दिनांक :- 24/5/19

श्रीमान् उपवन संरक्षक
झालावाड़ जिला झालवाड़ राज0

विषयः— सम्पर्क सडक एन—52 से रोज्या अन्डर RRSMP (Phase-II) in Distt. झालावाड ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सडक का संशोधित डिमाण्ड की राशि 628493.00 रू केम्पा फण्ड में E-चालान द्वारा दिनांक 24.05.2019 को जमा करवा दिया गया है चालान की प्रति एंव टेजरी के बिल की प्रति सलंग्न कर भिजवायी जा रही है।

भवदीय

(एल.पी. लामडी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfjhalawar1987@gmail.com

क्रमांक एफ ( )एफसीए / उवसं / 2019–20 / दिनांक:
निमित्त :-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sentioned under RRSMP (Phase II) IN Dist. Jhalawar.

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7595/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक प. 1 (51) वन / 2015 दिनांक 18.03.2015 के कम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के कम मे विषयाकिंत प्रस्ताव मे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 मे Construction of Road NH-12 to Rojya Sentioned under RRSMP (Phase II) IN Dist. Jhalawar. मे 0.994 हैक्टेयर हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दूवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है–

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तो का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हां जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ो की संख्या से अधिक पेड़ो का पातन नही किया जावेगा।	प्रस्तावित पेडों की संख्या से अधिक पेडों का पातन नही किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षक हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पंहुचई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपास किये जावेगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावें।उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगें।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित पेडों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र मे रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

Contd-2

	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास मे वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास मे वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको सरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेडों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।	हां, जी आवश्यक धन राशि 7863496 रू. जमा करा दी गई है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेगी।	हां, जी कुल राशि रू 9441132 जमा करवा दी गयी है। जिसमें राशि रू 594700 एनपीवी के सम्मिलित है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य तथा दुसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 में जमा कराया जायेगा।	हां, जी कुल राशि रू 9441132/– जमा करवा दी गयी है। जिसमें सीए की राशि रू 982936 सम्मिलित है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एनमीवी की दरों में बढोतरी होती हॉ जी है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	हां, जी वचन बद्वता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मरू डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी।एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सडक निर्माण की फिलिंग मे किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नही किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सडक निर्माण मे बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध मे प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक	अभिकरण द्वारा कुल धन राशि रू 7988695 जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षो का रोपण एवं रखरखाव :– 982936 /– रू. 2. मार्ग के तीनो तरफ वृक्षारोपण 7863496/– रू. 3. एन.पी.वी – 594700/– है।

1300FCA letter

	स्वीकृति की अनुपालना आख्या(जिसमे जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)	
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारिख को संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें।तथा प्रकरण मे जारी स्वीकृति को युजर एंजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जी हां, उक्त प्रकरण मे जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रो मे प्रकाशित करवा दी गई है । समाचार पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दूवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– 1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति।
2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
3. समाचार पत्र की प्रति।

भवदीय

(नन्दलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2019–20/9131 दिनांकः 10-6-19

प्रतिलिपि :– अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को उनके पत्रांक 106 दिनांक 28.05.2019 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

9e

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक : 28-5-19

उप वन संरक्षक 106
झालावाड़

विषयः– Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.

संदर्भः– प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7795/2014 श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र कमांक प. 1 (51)वन /2015 दिनांक 18.03.2015 के कम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा–2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड़ एन.एच. 12 से रोज्या अण्डर आर.आर.एस.एम.पी. फेज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.95 हैक्ट हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

कमांक	बिन्दुवार शर्तो का विवरण	पलना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी, कोई परिवर्तन नही होगा । अण्डर टेंकिंग सलंग्न है।
2.	प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	हाँ जी, प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा। अण्डर टेंकिग सलंग्न है।
3.	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेडो की संख्या से अधिक पेडो का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रस्तावित पेडो की संख्या से अधिक पेडो का पालन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेंकिग ,सलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एंव रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षजि नही पहुचाई जावेगी उंव उनके संरखक हेतु समरत उपाय किये जावेगें।	हॉं जी, परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पसियो एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नही पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे । अण्डर टेंकिग सलंग्न है।
5.	प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे।	हॉं जी, प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेडों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नही काटा जावेगा । उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होगे। अण्डर टेंकिग सलंग्न है।
6.	प्रयावर्तित क्षेत्र के आस–पास मे वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेबी एंव इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सूजर की होगी।	हॉं जी, प्रयावर्तित क्षेत्रके आस पास में वनस्पति /वन्य जीवन सरंक्षक की क्षति हानि पर यूजर ऐजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर ऐजेन्सी की रहेगी । अण्डर टेंकिग सलंग्न है।
7.	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	हॉं जी, पातन किये जाने वाले पेड़ो की राश प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है। अण्डर टेंकिग सलंग्न है।

कृपाल 29-5-19

Offic Letter New 4

8.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथासंश) जमा की जावेगी।	हाँ जी, आवश्यक धनराशि जमा करा दी गयी है। [illegible] टेकिंग सलंग्न है।
9.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारामाननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05. 02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी, राशि रू. 594700/– रूपये जमा करा दी गयी है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॅार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॅाक–11 भूतल सी.जी.ओ.कॅाम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 मे जमा कराया जायेगा।	हाँ जी, राशि रू. 9441132/– रूपये जमा करा दी गयी है। जिसमें सी.ए. की राशि रू. [illegible]/– रूपये सम्मिलित है।
11.	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन. पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	हाँ जी, वचनबद्धता का प्रमाण पत्र सलंग्न कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एंव प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि. उपलब्ध करायेगा।	सडक निर्माण में निकलने वाले मक उपयोग सडक निर्माण की फिलिंग में किया जायेगा । वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा । तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सडक निर्माण में बहार से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी । जिससे मक निस्तारण की शून्य होगी । इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सलंग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एंव भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007– एफ.सी.दिनांक 05. 02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम)ब्लॅाक–11 भूतल सी. जी.ओ.कॅाम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली–11003 मे जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रफट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	अभिकरण द्वारा धन राशि 9441132/– रूपये [illegible] चालान से जमा करा दी गयी है। छायाप्रति सलंग्न है। कुल 9441132 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है 1. 100 वृक्षो का रोपण एवं रखरखाव – [illegible]/– 2. मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण– 1383498/– 3. एन.पी.वी. –594700/–छायाप्रति सलंग्न है।
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबधित क्षैत्रिय कार्यालय को मासिक प्रगति रिर्पोट प्रेषित करे।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।

	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रयोजन संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7–23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण मे सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण मे जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी मे प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों मे अवश्य प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण मे विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नही की जाएगी।	हाँ जी, उक्त प्रकरण मे जारी स्वीकृति को यूजर ऐजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी मे प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी । जो कि दिनांक 25.12.2018 को करवा दी गयी है। समाचार पत्र की छाया प्रति सलंग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंग्न – 1 जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति
2 वचन बद्धता प्रमाण पत्र
3 मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

(एल.सी. [illegible])
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांक:
दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1 श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2 श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत झालावाड
3 श्रीमान् सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

NH12 मे रोजगा

Reference No :24386914

Government Of Rajasthan
WAM Innerleader sheet

Detailed Wam bill of : EX eng pwd Div-Aklera(15294)

Bill For Works Payment : WAM Payment

Month/Year: May/2019

OfficeID: 15294

Division Name	: EX EN PWD AKLERA	Reference No	1752873	Wam Reference No	81/1 of 10
Date	: 24/05/2019	Division Code	103	Bill No	10071
TAN	JDHE00424E	Demand No	21	DDOCode	15294
SF	628493.00	Object Head	21	Budget Head	3054-04-800-02-01/SF//
		NonPlan	0.00	NA	0.00

To.

The Treasury/Sub Treasury Officer AKLERA
Please Order to pay ₹ 628493 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk | Sign of DA | Sign of Divisional Officer

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this drawal is within the limits of allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital Sign of DDO
9460522074

Sr.No	Name Address Mobile	Bank Name Account No IFSC Code Branch Name	Invoice No Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	WAMID	Budget Head Deduction Amt
1	CORPORATION BANK LODHI COMPLEX BRANCH BLOCK 11 CGOCOMPLEX PHASE1 LODHI ROAD NEW DELHI 110003 9460522074	CORPORATION BANK 150856113599281 CORP0000371 Lodhi Road, New Delhi	1/1/1900 12:00:00 AM	628493.00 628493.00	1752873	

Gross Amount Rs. 628493.00 | B.T.Amount: Rs. | Net Amount:Rs. 628493.00

Amount In Words : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY THREE Only

Sign Of DDO with Seal/e-Sign/Digital Sign of DDO

सा० नि० वि० खंड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

For Accountant General Office

Admitted ₹
Objected ₹

Auditor | Supdt | Gaz.Officer

Treasury Voucher

No: | Date :

Pay ₹ : 628493.00

(In Words) : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY THREE ONLY

B.T. Heads :

Head	Amount

Total
(In Cash) ₹ : 628493.00
(In Words) : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY THREE ONLY

Auditor | AAO-I/II | Treasury/Sub Treasury Officer

Disclaimer : All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it.
S/W Courtesy National informatics centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in) Group Name:3054 VR

Forward Time:24/05/2019 12:34 PM
Print Date & Time:24/05/2019 12:33 PM

NH-12 से रोज्या

Form RPWA 28

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date

BillRef No. 10071, Dated 24/05/2019

Reference No.

Division Name: EX.eng pwd Div-Akiera, Division Code 15294

Sub Division Code:

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: NH-12 to Rojya

Vendor Name: CORPORATION BANK

Sanction/Autorization/BillNo: Dated:

Budget Head: 3054-04-800-02-01-21-V-P

Reason:

Bank Details: AccountNo.- 150856113589281, IFSC Code: CORP0000371

Total amount payable to the contractor or supplier In Figures: 6,28,493 (In Words) Rupees Six Lakh Twenty Eight Thousand Four Hundreds Ninety Three Only

Deductions/Recoveries:

SNo.	Head Code	Head Detail	Amount

Net Amount Payable In Figures: 6,28,493 (In Words) Rupees Six Lakh Twenty Eight Thousand Four Hundreds Ninety Three Only

Received from ......sum of Rs......(Rupees......) on account of (Work Name)..../purpose

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

For use in Divisional Office

Signature of DA with seal

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

NEFT RTGS CHALLAN

NH12 से रोड़ मार्ग

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-05-2019

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6175050315
MoEF/SG File No.	1(51)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	PWD Div. AkleraJhalawar
Amount(in Rs)	628493/-

Amount in Words Six Lakh Twenty-Eight Thousand Four Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856175050315 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-05-2019

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6175050315
MoEF/SG File No.	1(51)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	PWD Div. Aklera Jhalawar
Amount(in Rs)	628493/-

Amount in Words Six Lakh Twenty-Eight Thousand Four Hundred and Ninety-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856175050315 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print Back

24/5/2019

अधिशाषी अभियन्ता

सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा

ई०डी० कोड 15294

दिनांक :-

... की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें

राजस्थान सरकार
वन विभाग

...: प. 1(51) वन/2015 जयपुर दिनांक 18.03.2015

... वन संरक्षक (HoFF)

... जयपुर।

... Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar.

... प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7795/2014

महोदय,

... उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के ... सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं, जयपुर के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एफ. नं. 11-9/98- एफसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत् जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar. में 0.95 हेक्टेयर हेतु वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
3. प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जाएगा।
4. चाहक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जाएंगे।
5. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में चिन्हित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाए। उक्त क्षेत्र में चिन्हित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जाएगी।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंभव) जमा की जाएगी।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।
10. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एक डिस्पोजल योजना एक वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जाएगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गई राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
14. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाएं तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में आवश्यतः प्रकाशित कराएं एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल पंचायत पंचायत एवं नगरपालिका के सम्बन्धित अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।

भवदीय,

(डी.एन. रामनाथन)

शासन सचिव-वन

...या खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ...शिश है, सूरत बदलनी चाहिए -दुष्यन्त

22 दिसम्बर, 2018, शनिवार

कर्ज से माफी नहीं, मुक्ति चाहिए

विभाजन को खारिज करते "मुस्लिम गीत"

Construction of Road NH-12 to ... Sanctioned under PMGSY (Phase II) ...

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. ... झालावाड़

निविदा सूचना संख्या 34/2018-19

...टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महामारियों पर लगेगी रोक

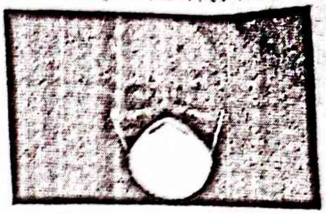

Scanned with CamScanner

File No.1-29/2015-CAMPA
Government of India
Ministry of Environment Forests & Climate Change
National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Email: adhoc-campa-mef@nic.in
******

Block No.3, 4th Floor
Hall No.1, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 01st June, 2023

To,

The Assistant General Manager
Union Bank of India
FCS Bangalore Branch
Bangalore-560027

Sub: - वन संरक्षण अधिनियन के प्रत्यावर्तन प्रकरणों मे की गयी भुगतन राशि को पुनर्स्थापित कराने बाबत

(i) Diversion of 0.994 ha of Forest land for construction of road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, District Jhalawar. (Proposal No.RJ/Road/7757/2014)

(ii) Diversion of 0.950 ha of forest land for construction of Road from NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/Road/7795/2014)

(iii) Diversion of 0.200 ha of Forest land in construction of road from NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No.FP/RJ/Road/7759/2014)

Sir,

Please refer to the letter No.4968 of APCCF & Nodal Officer (FCA) on the subject mentioned above and it is to inform that user agency has erroneously deposited the remittances of Rs.10,96,947.00, 6,28,493.00 and 4,99,056.00 through challan No.150856113599281 on 27.09.2019. The Union Bank of India, CGO Complex, New Delhi- 110003 has confirmed the remittance in the "CAF- Rajasthan" account. Therefore, it is requested that the kindly updated the remittances on correct proposal/remitter No. as per the details mentioned in the table: -

S.No.	Proposal No./Diversion Area	Amount With date	UTR No.	Challan No. from which the amount has wrongly paid	Remitter No. (on which the amount has to be shown)
1.	Proposal No. RJ/Road/7757/2014 & 0.994 ha.	10,96,947.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897743	150856113599281	6177570372
2.	FP/RJ/Road/7795/2014 & 0.950 ha.	6,28,493.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897732		6175950315
3.	FP/RJ/Road/7759/2014 & 0.200 ha.	4,99,056.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897730		6177590992

Encl: as above

Yours faithfully,

(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests
National Authority

Copy to: -

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area, Jaipur-302004